Terms of International Bankers for Indo-Oman urea Project

1400. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Government have accepted the terms and conditions put forth by international bankers for the beleaguered $ 1100 milion Indo-Oman Urea Project; and

(b) if so, the details of the terms and conditions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) No Sir. no proposal has been received from the Indian sponsors to revise the investment approval given by the Government in December 1997, as the terms and conditions suggested by the Consortium of banks mandated to arrange debt for the Oman India Fertilizer project are under discussion between the arranging banks and the Indian and Omani sponsors.

यूरिया के आयात ठेकों पर पूर्व-शर्तें

1401. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हुए यूरिया घोटाले को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के यूरिया आयात ठेकों पर पूर्व शर्तें लगाने और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विहित शर्तें / प्रस्तावित नई शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों द्वारा लिए गए वित्तीय निर्णय सरकारी मानदण्डों के अनुरूप तथा कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने चाहिएं; और

(घ) यदि हां, तो इससे घोटालों को रोकने में किस हद तक मदद मिलेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) से (घ) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिसका नामित सरणीबद्ध एजेन्सियों अर्थात एमएमटीसी लि०, भारतीय राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) और इंडियन पोटाश लि० (आईपीएल) के माध्यम से सरकारी खाते में आयात किया जाता है। यूरिया घोटाले के बाद सरकार ने 1.4.97 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) पेशगी धन जमा करने और निष्पादन गारन्टी बाण्ड के संबंध में कठोर शर्तें लागू किए गए हैं ताकि "घटिया बाजार प्रचालकों" के प्रवेश को रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी स्थिति के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं का वर्गीकरण किया गया है और नए आपूर्तिकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से उनकी ऋण शोध क्षमता और साख दर का प्रमाण देना पड़ता है।

(ii) यूरिया की खरीद के संबंध में किसी एक व्यक्ति को निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। आयातों के लिए निर्णय पर निदेशक मण्डल अथवा मण्डल बिक्री खरीद समिति (एसपीसी) द्वारा स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है।

(iii) सभी तरह के भुगतान साख पत्र के माध्यम से करने पड़ते हैं जो सामान्यतः स्थानान्तरणीय परिवर्तनीय तथा अभ्यर्पणीय नहीं होंगे।

इसके अलावा, सरकार ने यह अनुदेश भी अलग से जारी किये हैं कि सभी नीतिगत मामले और खास तौर पर वे जिनका गम्भीर वित्तीय प्रभाव होता है, को मंजूरी के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष लाया जाएगा।

उर्वरकों की कमी

1402. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरकों की बहुत कमी है या इसके उत्पादन में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने हेतु क्या अनुवर्ती कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उर्वरक के आयात एवं निर्यात का कारखाना निर्गत मूल्य, सी०आई०एफ० (लागत बीमा भाड़ा) मूल्य और एफ०ओ०बी० (फ्री आन बोर्ड) मूल्य कितना-कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल) (क) और (ख) नाइट्रोजन और फास्फेट न्यूट्रिएंट के रूप में उर्वरकों के उत्पादन में देश में 1994-95 से दिए गए विवरण के ब्यौरों (नीचे देखिये) के अनुसार वृद्धि हुई है। यूरिया की कोई कमी नहीं हुई है जो कि एक नियंत्रित उर्वरक है। तथापि, डाई अमोनियम फास्फेट (डी ए पी) के संबंध में राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में रबी मौसम के दौरान इस समय स्थानीकृत कमियां महसूस की जा रही है। ऐसा निम्नलिखित के कारण हुआ: (i) अक्तूबर-नवम्बर, 98 महीनों के दौरान लगभग 7.5 लाख मी० टन आयात की वंचिंग हो गई जिसके कारण डी ए पी की पूर्व आपूर्ति नहीं की जा सकी। (ii) जे एन पी टी और विज़ाग नामक दो पत्तनों पर लगभग 5 लाख मीट्रिक टन डी ए पी का जमावड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप भीड़भाड़ हो गई और परिणामस्वरूप इन पत्तनों से संचलन में विलम्ब हुआ। (iii) विज़ाग पत्तन पर चक्रवाती तूफान की वजह से रेकों का संचलन लगभग 16 दिनों के लिए प्रभावित हुआ (iv) गेहूं बोये जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि के कारण सर्वाधिक मांग में वृद्धि हो गई।

(ग) सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया है और राज्यों में समय से डी ए पी पहुंचाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं । जे एन पी टी और विज़ाग बन्दरगाहों पर डीएपी जहाजों की वर्थिंग के लिए प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसके अलावा दोनों संयंत्रों और बन्दरगाहों से डी ए पी की रेल द्वारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में जहां मौसम के दौरान अधिक आवश्यकता है, संचलन को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसके अलावा इंडियन पोटाश लि० के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर जोर्डन से 55000 मी० टन डी ए पी का अतिरिक्त आयात किया गया है।

(घ) 1998-99 के लिए (30.11.1998 तक) यूरिया, डी ए पी और एम ओ पी जिनका आयात किया जाता है, के भारित औसत लागत भाड़ा मूल्य निम्नानुसार हैं:—

यूरिया : 101 14 अमरीकी डालर
डी ए पी * : 220 68 अमरीकी डालर
एम ओ पी* : 112 21 अमरीकी डालर

*उपलब्ध सूचना के अनुसार।

विवरण

नाइट्रोजन और फास्फेट

(000 मी० टन उत्पादन)

उर्वरक/न्यूट्रिएंट	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
नाइट्रोजन	7945.4	8777.0	8599.4	19985.6	6844.8*
फास्फेट	2495.8	2558.0	2555.9	2975.9	1975.9*

* 1 अप्रैल, 98 से 30 नवम्बर, 98 तक

उर्वरक कम्पनियों की लाभ हानि

1403. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के लिए सरकारी, सहकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के अधीन आने वाली उर्वरक कंपनियों की लाभ व हानि की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन में से कोई कंपनी घाटे मे चल रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं:

(ग) क्या सरकार का इन्हें लाभप्रद बनाने हेतु कुछ योजनाएं तैयार करने उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए०के० पटेल): (क) से (घ) इस विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों को गत तीन वर्षों के दौरान हुई लाभ/हानि निम्न प्रकार हैं:—